राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
(महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ)

<u>सार्वजनिक सूचना</u>

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 प्रत्येक महिला को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से मुक्त, सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण का अधिकार सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम संगठित व असंगठित क्षेत्र, सार्वजनिक व निजी संस्थानों—सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे महिला का पद, भूमिका या सेवा की स्थिति कोई भी हो। घरेलू कामगार महिलाएं भी इस अधिनियम के दायरे में आती हैं।

शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार ने **SHe-Box (Sexual Harassment Electronic Box)** नामक एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया है, जो महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए एक 'सिंगल-विंडो' सुविधा प्रदान करता है। दर्ज की गई शिकायत सीधे संबंधित प्राधिकरण को अग्रेषित की जाती है ताकि शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र की संस्थाओं तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों को अनिवार्य रूप से **SHe-Box पोर्टल** पर अपने संगठन की जानकारी पंजीकृत करनी होगी, जिससे शिकायत दर्ज करने और समाधान की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके, साथ ही डेटा संग्रहण हेतु एक केंद्रीय भंडार भी सुनिश्चित किया जा सके।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित नागरिक अपील '*औरेलियानो फर्नांडिस vs. राज्य गोवा एवं अन्य*' के आदेशों के अनुपालन में, सभी संबंधित निजी क्षेत्र की संस्थाओं को यह कानूनी दायित्व यथाशीघ्र पूरा करना अनिवार्य है, ताकि महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित किया जा सके।

पंजीकरण हेतु कृपया विज़िट करें: <u>https://shebox.wcd.gov.in</u>

हस्ताक्षरित
निदेशक

Humra Khalid
Deputy Director
WEC/Mission Shakti
Dept. of Women & Child Development
Govt. of NCT of Delhi
ISBT, Building, Kashmere Gate, Delhi-110006

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
(Women Empowerment Cell)

PUBLIC NOTICE

The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 safeguards the right of every woman to a safe and secure working environment, free from sexual harassment. The Act applies universally—across organized and unorganized sectors, public and private organizations—regardless of woman's role, employment status or hierarchy. It also extends protection to domestic workers.

To strengthen the redressal mechanism, the Government of India has introduced the **Sexual Harassment Electronic Box (SHe-Box)** — an online platform offering single-window access for women to file complaints related to sexual harassment at the workplace. Upon submission, the complaint is forwarded directly to the appropriate authority for prompt action. All public sector organizations, private sector entities and their subordinate offices are mandated to register their organizational details on the SHe-Box portal to enable seamless complaint filing and resolution and for maintaining a repository for data.

All concerned private sector organizations are hereby directed to comply with this mandatory requirement in compliance with the orders of Hon'ble Apex Court in the Civil Appeal titled *'Aureliano Fernandes Vs. State of Goa & Ors'* at the earliest, to uphold the law and to contribute to a safer and more respectful workplace for women.

To register, please visit: **https://shebox.wcd.gov.in**

Humra Khalid
Director
Dept of [illegible] lopment
ISBT, [illegible]

Sd/-
Director